71/2020 धन्नूलाल वगैरा बनाम अमरसिंह

220 T.I.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-1-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-1-2021 को पेश हो। रीडर	
19-1-2021 वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दि० 16-10-2020 को जारी आदेश मूल वाद के निर्णय होने तक पुष्ट किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

... पुत्र भोला,गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. चिरंजीलाल पुत्र भोला,गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

---प्रार्थीगण

बनाम

अमरसिंह पुत्र भोला,गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री भागचंद पल्लीवाल, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मनीष अग्रवाल, एड. अप्रार्थी सं0 1/1 ता 1/8 की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 2 से 6 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 382 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 383 रकबा 0.02 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 384 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 385 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 386 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 387 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है0 ग्राम महूकलां तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। उक्त आराजियात में 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 धन्नूलाल का, 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 चिरंजीलाल का, 1/4 हिस्सा अप्रार्थी अमरसिंह का व 1/4 हिस्सा दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 मन्नूलाल का है। यह पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। इसे पक्षकारान संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि के विभाजन के लिए प्रार्थी धन्नू ने विभाजन का एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है और भूमि संयुक्त खातेदारी की है। अप्रार्थी अमरसिंह ताकत के बल पर जबरन उक्त भूमि में नींव खोदकर पुख्ता दुकान व मकान का निर्माण कर रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी अमरसिंह से इस कार्य के लिए मना किया तो अप्रार्थी व उसके लडके राधाकिशन, द्वारका, दिलकुश, रिंकू गुर्जर हाथे में लाठी डंडे लेकर आ गए, मां बहन की फौस गालियां निकालने लगे एवं कहने लगे हम ताकत के बल पर शामलात की कृषि भूमि में पुख्ता मकान व दुकान निर्माण करेंगे जबकि अप्रार्थी को ऐसा करने का कानूनन अधिकार नहीं है। भूमि कृषि की है जिसमें राज्य सरकार की अनुमति से ही भूमि की किस्म परिवर्तन करवा कर निर्माण किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता है। अप्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि में पुख्ता निर्माण के लिए नींव खोद दी है व काफी खण्डे बजरी सीमेन्ट इकट्ठे कर रखे हैं और 10–20 मजदूरों को लेकर निर्माण कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह ताफैसला दावा आराजी ख0नं0 382 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 383 रकबा 0.02 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 384 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 385 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 386 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 387 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है0 ग्राम महूकलां तहसील गंगापुर सिटी की संयुक्त कृषि को अकृषि में नहीं बदले और ना ही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि उपरोक्त सभी खसरा नम्बरो का मौके पर चारो खातेदारो ने बंटवारा कर लिया है। प्रार्थी चिरंजीलाल द्वारा अपने हिस्से की समस्त भूमि में अवैध रूप से भूखण्ड काटकर बेच दिए गए हैं, मौके पर उसके हिस्से में आई लगभग 42 एयर भूमि ख0नं0 387 एवं 386 का कुछ भाग पश्चिम दिशा का चिरंजीलाल को दिया गया जिसमें उसनेपूरी भूमि में प्लाट काट दिए हैं। इसी प्रकार ख0नं0 386 के साथ ख0नं0 385 व ख0नं0 384 के पश्चिम भाग के उत्तर से दक्षिण मिलाते हुए 42 एयर भूमि प्रार्थी धन्नालाल को बंटवारे में दी गई जिस पर पत्थर डालने का फड व मकानात आदि बने हुए हैं तथा गत कई वर्षो से खेती नहीं होती है। धन्नालाल ने अपने हिस्से की भूमि में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान बना रखी है व फड डालकर कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी भूमि को अकृषि कार्य में ले रहे हैं, भूमि की प्रकृति अब कृषि की नहीं रही है तथा आवासीय हो चुकी है। इसलिए माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा स्वयं अपने लम्बित दावे में यह स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी रूप से समस्त भूमि का बंटवारा हो चुका है इसलिए प्रार्थीगण अपने कथन से विपरीत कथन करने से स्टोप्ड है। प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी है वे अप्रार्थी के हिस्से में आई भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया है कि अप्रार्थी किस खसरा नम्बर की भूमि में नींव खोद कर पुख्ता निर्माण करना चाहता है। प्रार्थीगण उनके हिस्से की भूमि का व्यावसायिक उपयोग उपभोग कर रहे हैं एवं अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

विचाराधीन हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की है। अप्रार्थी भूमि के विभाजन हुए बिना ही भूमि में मकान, दुकान निर्माण करना चाहता है जबकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी पक्षकारान का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर कब्जा माना जाता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने जबाब एवं काउन्टर क्लेम के अनुसार बहस करते हुए कहा कि पक्षकारों के मध्य भूमि का 30–35 वर्ष पूर्व मौखिक बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार ही पक्षकारान भूमि पर काबिज हैं। मौखिक बंटवारे में आई अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 ने भूखण्ड काट कर बेचान कर दिए हैं इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 ने मौखिक बंटवारे में आई अपने हिस्से की भूमि को फड डालकर व्यावसायिक काम में ले रहा है। वास्तव में इन्होने ही भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित किया हैं। अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता है। भूमि की जानवरों से सुरक्षा हेतु अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्री करना चाहता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे अप्रार्थी के हिस्से में आई भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के अनुसार भूमि ख0नं0 382 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 383 रकबा 0.02 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 384 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 385 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 386 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 387 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है0 ग्राम महूकलां तहसील गंगापुर सिटी प्रार्थीगण, अप्रार्थी एवं मन्नूलाल की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। हालांकि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का मौखिक विभाजन होना बताता है परन्तु भूमि के विभाजन का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि अभी अविभाजित है एवं अविभाजित भूमि के मामले में प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। भूमि के सहखातेदार होने के नाते इन नम्बरों के बाबत् प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतः इन नम्बरों के बाबत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हम ताफैसला दावा पुष्ट (**confirm**) करना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 382 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 383 रकबा 0.02 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 384 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 385 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 386 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 387 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है0 ग्राम महूकलां तहसील गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में अप्रार्थी के विरूद्ध जारी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2020 को मूल वाद के निर्णय होने तक पुष्ट (**confirm**) किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested